क्रम संख्या–48 (क–1)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ए0–30/03

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 06 मार्च, 2003 ई0

फाल्गुन 15, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 232/कार्मिक–2/2003–55(24)/2002

देहरादून, 06 मार्च, 2003

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0 प0 नि0–13

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तरांचल समूह 'ख' सेवा (लघु शास्तियों का आरोपण) नियमावली, 2003

1. (i) संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ–यह नियमावली उत्तरांचल समूह 'ख' सेवा (लघु शास्तियों का आरोपण) नियमावली, 2003 कहलायेगी।

   (ii) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. लागू होने की सीमा–यह नियमावली उत्तरांचल की समूह 'ख' की ऐसी समस्त सेवाओं, जिनके नियुक्ति प्राधिकारी श्री राज्यपाल हैं, पर लागू होगी।

3. इस नियमावली का अभिभावी प्रभाव–इस नियमावली के उपबन्ध प्रभावी होंगे भले ही इस नियमावली के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त किसी भी नियम या आदेश में इससे कोई भी असंगत बात क्यों न हो।

4. परिभाषा—जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में—

(क) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य के राज्यपाल से है;

(ख) "विभागाध्यक्ष" के अन्तर्गत कोई अपर विभागाध्यक्ष भी है और उसका तात्पर्य राज्यपाल द्वारा इस प्रकार विशेष रूप से घोषित किसी प्राधिकारी से है;

(ग) "लघु शास्ति" का तात्पर्य निम्नलिखित से है—

(i) परिनिन्दा;

(ii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वेतन वृद्धि रोकना;

(iii) आदेशों की उपेक्षा या उनका उल्लंघन करने के कारण सरकार को हुई आर्थिक हानि को पूर्णतः या अंशतः वेतन से वसूल किया जाना।

5. शक्ति का प्रतिनिधायन—विभागाध्यक्षों के अधीन सेवारत उत्तरांचल की श्रेणी 'ख' के अधिकारियों के संबंध में श्री राज्यपाल द्वारा लघु शास्तियां आरोपित करने की शक्ति का प्रयोग एतद्पश्चात् श्री राज्यपाल के नियंत्रण के अधीन रहते हुए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष भी कर सकेंगे।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 232/ Karmik-2/2003-55(24)/ 2002, dated March 06, 2003 for general information :

No. 232/Karmik-2/2003-55(24)/2002
Dated Dehradun, March 06, 2003

NOTIFICATION
Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules:

THE UTTARANCHAL GROUP 'B' SERVICES (IMPOSITION OF MINOR PUNISHMENTS) RULES, 2003

1. (i) **Short title and commencement**--These rules may be called the Uttaranchal Group 'B' services (Imposition of Minor punishments) Rules, 2003.

(ii) They shall come into force at once.

2. **Extend of application**--These Rules shall apply to all Group 'B' services of Uttaranchal whose appointing authority is the Governor.

3. **Overriding effect of these rules**--The provision of these rules shall have effect notwithstanding any thing inconsistent therewith in any rule or order in force immediately before the commencement of these rules.

4. **Definition**--In these Rules, unless the context otherwise requires--

(a) "Governor" means the Governor of Uttaranchal;

(b) "Head of Department" includes an Additional Head of Department and means an authority specially declared as such by the Governor;

(c) "Minor Punishment" means-

(i) Censure;

(ii) With holding of increments for a specific period;

(iii) Recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused to Government by negligence or disobey of the orders.

5. **Delegation of power**--The power of the Governor to inflict minor punishments in respect of officers belonging to Group 'B' Services of Uttaranchal and serving under the Heads of Departments may, subject to the control of the Governor, be exercised also by the respective Head of Department.

By Order,

ALOK KUMAR JAIN,
Sachiv.

पी०एस०यू०(आर०ई०) 03 कार्मिक / 326-2003-75+1000 (कम्प्यूटर / रीजियो)।